तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.26/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
23.12.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– नवा खेड़ा, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाडी, मेन रोड़, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही) के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 2 (प्रोपराईटर, श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाडी, अतुल होटल के पास, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 17.1.2023 को फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाड़ी, मेन रोड़, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही में प्रतिवादी दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1980 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./101/Act/2023/144 दिनांक 31.1.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी दुर्गाराम को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी दुर्गाराम की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी दुर्गाराम के अधिवक्ता ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह अनुरोध किया कि प्रतिवादी दुर्गाराम ने पान मसाला (ब्राण्ड–विमल) को श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाड़ी, अतुल होटल के पास, सिरोही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर SA/22-23/2311 दिनांक 16.01.2023 से पैक्ड अवस्था में क्रय किया था, इसलिये इस प्रकरण में फर्म श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाड़ी, अतुल होटल के पास, सिरोही को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद भी श्री सांईनाथ एजेन्सी को पक्षकार बनाये बिना ही यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रकरण में श्री सांईनाथ एजेन्सी को पक्षकार बनाया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रतिवादी की फर्म श्री दुर्गा स्टोर द्वारा पान मसाला (ब्राण्ड–विमल) को श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाड़ी, अतुल होटल के पास, सिरोही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर SA/22-23/2311 दिनांक 16.01. 2023 से क्रय किया था। अतः इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 06.8. 2024 को इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत फर्म श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाड़ी, अतुल होटल के पास, सिरोही को पक्षकार (प्रतिवादी संख्या–2) बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 (श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाड़ी, ...लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.26/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अतुल होटल के पास, सिरोही) की ओर से फर्म श्री सांईनाथ एजेन्सी की प्रोपराईटर भानु त्रिवेदी पत्नी विजय त्रिवेदी, शाहजी की बाड़ी, सिरोही की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 06.11.2024 को जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमें यह अनुरोध किया है कि मेरी फर्म साईनाथ एजेन्सी में निर्माता कम्पनी से पैकिंग अवस्था में प्राप्त पान मसालों को पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो पान मसाला विमल ब्राण्ड का नमूना लिया है वो हमारी फर्म से नही बेचा गया, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी दुर्गाराम के अधिवक्ता ने श्री सांईनाथ एजेन्सी को दोषी बनाते हुए प्रतिवादी दुर्गाराम को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 17.1.2023 को फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाड़ी, मेन रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाड़ी, मेन रोड़, सिरोही की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु 5 कट्टों में रखे हुये खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के पैक्ड पाउचों में मिलावट का शक होने पर 02 किलोग्राम पान मसाला (विमल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं खदीदशुदा पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के चार भाग करके चार पैकेट बनाये। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमानुसार लेबल तैयार पर खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान, अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक आदि अंकित कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत एवं गवाह श्री अरविन्द सिंह, नवा खेडा, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने, सिरोही के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना भागों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत एवं गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.01.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.26/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17.1.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाड़ी, मेन रोड़, सिरोही में प्रतिवाद दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत से खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1980 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./101/Act/ 2023/144 दिनांक 31.1.2023 में खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत की फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाड़ी, मेन रोड़, सिरोही द्वारा उक्त पान मसाला (विमल ब्राण्ड) को फर्म सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाड़ी, सिरोही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर SA/22-23/2311 दिनांक 16.01.2023 से क्रय किया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता दोषी है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादीगण, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ पान मसाला (विमल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दुर्गाराम पुत्र वदाजी प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– नया खेड़ा, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री दुर्गा स्टोर, शाहजी की बाडी, मेन रोड़, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी फर्म श्री सांईनाथ एजेन्सी, शाहजी की बाडी, अतुल होटल के पास, सिरोही, तह. व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24.01.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.